.–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 79 / 2023

उनवान

1. पांचू पुत्र गोपी जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. उगमा उर्फ हुक्मा पुत्र माधु जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा
3. पूसाराम पुत्र निम्बा जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. भंवर खां पुत्र पीरू खां जाति मेहरात निवासी ग्राम पचमता, नसीराबाद
2. राजू पुत्र गोपी जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा
3. नारायण पुत्र राजू जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा
4. मन्ना पुत्र राजू जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा
5. मन्दरूप पुत्र राजू जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताम रावत
2 से 5 अनुपस्थित, 6 जरियें राज. पेरोकार

7. रामा पुत्र नाथू जाति गुर्जर नि. अमरकुआं, तहसील लाडपुरा, कोटा
8. राधा पत्नी काना पुत्री नाथू जाति गुर्जर नि. चांद बावडी, लाडपुरा, कोटा
9. रेवता पुत्र निम्बा जाति गुर्जर नि. बनेवडा, नसीराबाद
10. रूकमा पत्नी रायमल पुत्री निम्बा जाति गुर्जर नि. बाम्पोलाई ढाणी, पाली
11. गोटी पत्नी रामदेव पुत्री निम्बा जाति गुर्जर नि. कालाहेडी, मसूदा, अजमेर।

—— प्रर्फोमा अप्रार्थीगण :– 7 से 11 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पचमंता के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.46, 73 रकबा 0.17 व 86 रकबा 1.04 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार निहित नही है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करने, पेडो व तारबंदी को नुकसान पहुचाने पर आमादा है, साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 से 5 भी सह खातेदारी की आराजी का [illegible] बैचान करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को मूल वाद के [illegible] तक पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जा काश्त [illegible] अन्यत्र हस्तांतरण/बैचान नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:26 IST
Reason: SelfAttested

——2

नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 व 7 से 11 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 व राज. पैराकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम पंचमता के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.46, 73 रकबा 0.17 व 86 रकबा 1.04 की आराजी प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 2 व 7 से 11 की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नही किया है नाही प्रकरण में मौखिक खण्डन पेश किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 उक्त आराजी के सह खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 2 जीवित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 से 5 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को आराजी मुतनाजा पर कोई हक नही होने व आराजी मुतनाजा अविभाजित होने के कारण विभाजन होने तक सम्पति के मौके की यथास्थिति रखी जा सकती है। साथ ही अविभाजित आराजी पर बिना विभाजन भूमि के विशिष्ट भू भाग का बैचान किया जाना भी न्यायोचित नही है। अतः प्रकरण प्रथम दृश्टया प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक निहित नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

3. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण व अप्रार्थी 2 व 7 से 11 की सह खातेदारी की है। शेष अप्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से सिद्व होगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

आदेश :– अतः ग्राम पंचमता के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.46, 73 रकबा 0.17 व 86 रकबा 1.04 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5 को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतननाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बननाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद